डिक्री मुकद्मा इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
इजलास : हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 88/2012

**वादीगण :** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1– कानाराम पुत्र श्री गोपारामजी
2– मैंनादेवी पुत्री श्री गोपारामजी
पत्नी श्री चैनाराम जातियान सरगरा
निवासीगण उचियार्डा तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर राज.

1– बाबुलाल पुत्र श्री हजारीराम
2– छैलाराम पुत्र श्री गोपाराम
3– पानीदेवी पत्नी श्री शिवलाल
4– रमेश पुत्र श्री शिवलाल
5– दुर्गाराम पुत्र श्री शिवलाल
6– दुर्गादेवी पुत्री श्री शिवलाल
7– लीलादेवी पत्नी श्री कानाराम
जातियान सरगरा निवासी
उचियार्डा, तहसील बिलाड़ा
8– सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

निर्णय दिनाक 15–06–2017

दावा बाबत् 88, 188 आर.टी.एक्ट यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू हाजरी हमारे मिनजानिब मुद्दई श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से मिनजानिब मुदायलाह श्री राजेन्द्र पटेल प्रतिवादी सं. 8 की ओर से व प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. खसरा सं. 1445 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं. 1509 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 1490 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं. 1521 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से वादी सं. 1 को 1/4 हिस्से का तथा वादी सं. 2 को 1/4 हिस्से का तथा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 1510 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से की भूमि में से वादी सं. 1 को 1/4 हिस्से का तथा वादी सं. 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रारम्भ से ही वोईड विक्रय पत्र के आधार पर बतौर खातेदार के रूप में दर्ज नाम को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से के अलावा शेष वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 2 से 6 के नाम से निर्णय में वर्णित अनुसार उनका निहित हक व हिस्सा के संबंध में उनका नाम

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार बिलाड़ा अमल दरामद की कार्यवाही करे। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 तक को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उनकी उपरोक्त घोषित खातेदारी कृषि भूमि के कब्जा काश्त में न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जाती है।

तीज .......................... मुबलिक ................................ बाबत् .............................................

खर्चा इस मुकदमें में मयसूद वगैराह ............................... की सदी सलाना आज तारीख वसूलयाबी तक ........................................ को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्खत व मुहर आज तारीख 15-6-2017 को जारी की गई।

(हरीसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाप अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| वजह सबूत स्टाम्प | | | मेहनताना वकील | | |
| वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत् इजराय | | |
| बाबत् इजराय हुक्म नामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

(हरीसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा